राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419

क्रमांक एफ 19 ( ) / WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CFA/2019-20/ 37965 दिनांक 20/12/19

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

"महिलाओं / बालिकाओं को निःशुल्क RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) प्रशिक्षण"

परिपत्र

प्रस्तावना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1000 करोड़ की **इंदिरा महिला शक्ति निधि** के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। उक्त निधि से महिलाओं को इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के माध्यम से RS-CFA का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाएं कम्प्यूटर पर Tally Software पर कार्य करने के कौशल में पारंगत हो सकें एवं उन्हें व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में रोजगार / स्वरोजगार मिल सके।

उद्देश्य –

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में बिलींग से लेकर अकाउन्टिंग तक का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से हो रहा है तथा वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् इसमें उतरोत्तर वृद्धि हुई है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखांकन के जानकारों की मांग बढ़ी है। अतः प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला

प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पाठ्यकम एवं पात्रता–

योजना के अंतर्गत RKCL के माध्यम से RS-CFA (Rajasthan State-Certificate in Financial Accounting using Tally, ERP 9 GST enabled) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कोर्स का संक्षिप्त विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

- **कोर्स का संक्षिप्त विवरण :**
  - कम्प्यूटर पर अकाउन्टिंग का ज्ञान (Using Tally Software)
  - सैद्धान्तिक एवं कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (CBT)
  - Tally ERP 9 वर्जन आधारित कोर्स
- **प्रशिक्षण अवधि :**
  - 100 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)
- **आयु :**
  - 16–40 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।
- **शैक्षणिक योग्यता :**
  - 12वीं पास महिला

आवेदन प्रकिया–

प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/बालिकाओं द्वारा RS-CFA कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक ई–मित्र के माध्यम से या स्वयं द्वारा ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। योजना की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।